



Neutral Citation No. - 2026:AHC:7778-DB

दिनांक 06.01.2026 को आरक्षित

दिनांक 13.01.2026 को सुनाया गया

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 1237 सन् 2001

योगेन्द्र पांडे उर्फ शाधू

....अपीलार्थी

बनाम

उ.प्र. राज्य

.....प्रतिवादी

अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता : रमेश राय, संगम लाल केशरवानी

प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता : सरकारी अधिवक्ता

चैम्बर में

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ

माननीय न्यायमूर्ति संजीव कुमार

(माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ द्वारा प्रदत्त)

1. हमने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री संगम लाल केसरवानी और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान ए.जी.ए. श्री प्रेम शंकर प्रसाद की दलीलें सुनीं और विचारण न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया।

2. यह आपराधिक अपील सत्र परीक्षण संख्या 271/1996 "राज्य बनाम योगेन्द्र पांडे उर्फ शाहधू" मामले में सत्र न्यायाधीश, गाजीपुर द्वारा धारा 302 भा.दं.सं., थाना सैदपुर, जिला गाजीपुर के तहत पारित निर्णय और दोषसिद्धि एवं दण्डादेश दिनांक 10.04.2001 के विरुद्ध दायर की गई है, इस मामले में अपीलकर्ता को धारा 302 भा.दं.सं. के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि शाम करीब सात बजे लगभग 60 वर्ष की धनवंती देवी, आरोपी योगेंद्र पांडे उर्फ साधु की दुकान पर मसाला खरीदने गई थीं। उक्त आरोपी खजुराहट गांव में दुकान चलाता था। धनवंती देवी और उक्त दुकानदार/आरोपी के बीच मसालों के दाम को लेकर कुछ कहासुनी हुई और दुकानदार/आरोपी इतना क्रोधित हो गया कि उसने कट्टे से धनवंती देवी पर गोली चला दी, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। उनका बेटा सीता राम राजभर, जो एक आम मजदूर के रूप में अपना दिन का काम खत्म करके आ रहा था, संयोगवश घटना स्थल के पास से गुजर रहा था। उसने अपनी मां और आरोपी को झगड़ा करते हुए देखा और आरोपी को अपनी मां पर गोली चलाते हुए भी देखा। वहाँ कुछ अन्य लोग भी मौजूद थे जिन्होंने यह घटना देखी। सीता राम राजभर ने अपनी माँ को जीप में बिठाकर अस्पताल पहुँचाया, जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उन्होंने सैदपुर थाना, जिला गाजीपुर में स्वयं एफ.आई.आर. लिखकर दर्ज कराई। अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। जांच रिपोर्ट तैयार कर ली गई और धनवंती देवी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इसी बीच, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से एक कट्टा और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए, जिन्हें उसने एक जगह छिपा रखा था और उसके पास इन्हें रखने का कोई औचित्य नहीं था। दोनों मामलों की जांच पूरी होने और आवश्यक मंजूरी प्राप्त होने के बाद, उपर्युक्त अनुसार आरोपपत्र प्रस्तुत किए गए।

4. अभियोजन पक्ष ने अपना मामला साबित करने के लिए सूचनादाता सीता राम राजभर को प्रथम गवाह के रूप में पेश किया। उन्होंने अपनी एफ.आई.आर. की पुष्टि की और घटना का प्रत्यक्षदर्शी विवरण देते हुए स्वयं को घटना का चश्मदीद गवाह बताया। उनके अनुसार, गांव का सुखराम भी वहाँ मौजूद था और उसने भी घटना देखी थी। अभियोजन पक्ष ने सुखराम को भी प्रत्यक्षदर्शी के रूप में पेश किया और वह पी.डब्ल्यू.2 है। उसने भी बताया कि वह आरोपी की दुकान पर 'सौदा' (सामान/खाद्य वस्तुएं) खरीदने गया था और उसने पूरी घटना अपनी आँखों से देखी। उसने पी.डब्ल्यू. 1 के बयान की पुष्टि करने का प्रयास किया।

5. मृतका धनवंती देवी के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉ. भरत सिंह को पी.डब्ल्यू. 3 के रूप में पेश किया गया। उन्होंने अपने द्वारा तैयार की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट को प्रमाणित किया। उन्होंने पाया कि उसकी मृत्यु एक ही गोली लगने से हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



शरीर के पेट वाले हिस्से में प्रवेश और निकास घाव हुए थे। उनके अनुसार, उक्त गोली के घावों के कारण हुए सदमे और रक्तस्राव से मृत्यु हुई थी।

6. उपाधीक्षक, राणा प्रताप सिंह, केंद्रीय पुलिस विभाग (सी.बी. सी.आई.डी.), को पी.डब्ल्यू. 4 के रूप में पेश किया गया। जब एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी, तब वे संबंधित थाने के थानाध्यक्ष थे। उन्होंने चिक एफ.आई.आर. और कांस्टेबल मोहररि गुलाब सिंह द्वारा जी.डी. में की गई संबंधित प्रविष्टियों को प्रमाणित किया। इस मामले की जांच की जिम्मेदारी उन्होंने अपने हाथ में लिया था। उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया और नक्शा नजरी आदि तैयार किया। उन्होंने घटनास्थल से खाली कारतूस, रक्तरंजित मिट्टी और सादी मिट्टी भी एकत्र की और उससे संबंधित आवश्यक दस्तावेज तैयार किए। जांच के दौरान, उन्होंने 13.06.1996 को गांव के पास रेलवे स्टेशन से आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके बताए अनुसार एक कट्टा और दो कारतूस बरामद किए। उन्होंने बरामद की गई वस्तुओं को सील करवा दिया और बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी भी तैयार किया। इस प्रकार उन्होंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत आरोपी योगेंद्र पांडे के विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत किया। उन्होंने उक्त हत्या मामले में जांच भी पूरी की, जिसके परिणामस्वरूप आरोपपत्र दाखिल किया गया और उन्होंने उक्त आरोपपत्र (प्रदर्शक-8) को सिद्ध किया। बरामद किया गया कट्टा और घटनास्थल पर मिली खाली कारतूस को विशेषज्ञों की जांच के लिए भेजा गया और रिपोर्ट प्राप्त हो गई।

7. नागेश मिश्रा को पी.डब्ल्यू. 5 के रूप में पेश किया गया। जब एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी, तब वह संबंधित थाने में एस.एस.आई. थे। अस्पताल में मृतका को मृत घोषित किए जाने के बाद, वह 12.06.1996 को सुबह 7 बजे वहां गया और उसके शव के संबंध में जांच रिपोर्ट तैयार की। उन्होंने इसे सिद्ध कर दिया। फिर उन्होंने चालान नाश, चिट्ठी आर.आई., चिट्ठी सी.एम.ओ., नक्शा नाश आदि तैयार किए और शव को सीलबंद अवस्था में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

8. यदुनाथ शुक्ला, जो कि एक अन्य पुलिस उप-निरीक्षक थे और उस समय संबंधित थाने में तैनात थे, को पी.डब्ल्यू.-6 के रूप में पेश किया गया। शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत मामला संबंधित थाने में उनकी उपस्थिति में दर्ज किया गया और उन्हें इसकी जांच सौंपी गई। जांच पूरी होने के बाद उन्होंने आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। उन्होंने आरोपपत्र और अपने द्वारा तैयार किया गया नक्शा नजरी दोनों ही प्रमाणित किए। उन्होंने संबंधित जिलाधिकारी से

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने की अनुमति भी प्राप्त की थी और उसे प्रदर्श क-18 के रूप में प्रमाणित किया। उनकी पूरी गवाही केवल शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत आरोपी के खिलाफ मामले से संबंधित है। आरोपी ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि उसे दुश्मनी के कारण झूठा फंसाया गया है। हालांकि, उन्होंने अपने बचाव में किसी को भी पेश नहीं किया।

9. अपीलकर्ता से धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत पूछताछ की गई, जिसमें उसने अभियोजन पक्ष के मामले से इनकार किया और दुश्मनी के कारण इस मामले में झूठा फंसाए जाने का आरोप लगाया।

10. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अभिलेख में मौजूद सामग्री से हमें पता चलता है कि मृतका मसाले खरीदने के लिए अपीलकर्ता की दुकान पर गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि मसालों की दर/कीमत को लेकर मृतका धनवंती और अपीलकर्ता के बीच कुछ विवाद हुआ और अपीलकर्ता ने मृतका को गोली मारकर घायल कर दिया। यह पेट में एक गोली लगने का मामला है। मृतका के शरीर पर केवल एक गोली लगने का घाव और उससे मिलता-जुलता एक निकास घाव ही चिकित्सक (पी.डब्ल्यू.-3) द्वारा पाया गया। घटना के पी.डब्ल्यू.-1 और पी.डब्ल्यू.-2 के बयान से भी ऐसा प्रतीत नहीं होता कि आरोपी ने कथित अपराध करने के लिए कोई मकसद निर्धारित किया हो। हम पाते हैं कि विवादित घटना अपीलकर्ता द्वारा अचानक उकसावे और आवेश में आकर घटी थी। घटना अचानक हुई। आवेश में आकर मृतका को एक ही चोट पहुंचाई गई, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए, यह भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के द्वितीय भाग के अंतर्गत गैर इरादतन हत्या का मामला है। यह मामला स्पष्ट रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 के अंतर्गत आता है। अभिलेख में मौजूद सामग्री से ऐसा प्रतीत नहीं होता कि अपराधी ने मृतका के खिलाफ कथित अपराध करने में किसी प्रकार का लाभ उठाया हो या क्रूरतापूर्ण या असामान्य तरीके से कार्य किया हो।

11. अतः, हम विचारण न्यायालय के निर्णय और आदेश में संशोधन करते हैं और भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत अपीलकर्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के बजाय, भा.दं.सं. के भाग 2 की धारा 304 के तहत मृतका के कानूनी वारिसों को देय 50,000 रुपये के जुर्माने के साथ 5 वर्ष की सजा सुनाने का निर्देश देते हैं, क्योंकि अपीलकर्ता ने यह जानते हुए भी यह कृत्य किया था कि इससे मृत्यु हो सकती है, लेकिन उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि विवाद मसालों की कीमत के एक छोटे से मुद्दे पर अचानक ही उत्पन्न हो गया था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. अपीलकर्ता 1982 से जमानत पर है और उसकी आयु लगभग 75 वर्ष है। उसकी जमानत रद्द की जाती है और जमानतदारों को उन्मोचित किया जाता है। उसे तत्काल आत्मसमर्पण करने और सजा का शेष भाग भुगतने का निर्देश दिया जाता है। अपीलकर्ता द्वारा जेल में बिताई गई अवधि को समायोजित किया जाएगा।

13. अपील को उपरोक्त सीमा तक आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

14. विचारण न्यायालय के अभिलेख को निर्णय की प्रति सहित विचारण न्यायालय को वापस भेज दिया जाए।

(न्यायमूर्ति संजीव कुमार) (न्यायमूर्ति सिद्धार्थ)

13 जनवरी 2026

रोहित